अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 32/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती बेवा फातमा पत्नी स्व॰ श्री जमील निवासी 93/20 ई, इन्द्रा कालोनी, परशुराम द्वार के पीछे, जलमहल, जयपुर, पुलिस थाना ब्रह्मपुरी, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजनक
2. खलील पुत्र स्व॰ श्री जमील
3. रहीम पुत्र.स्व॰ श्री जमील
4. श्रीमती शमा पत्नी खलील
5. श्रीमती शबनम पत्नी रहीम

समस्त निवासियान 93/20 ई, इन्द्रा कालोनी, परशुराम द्वार के पीछे, जलमहल, जयपुर, पुलिस थाना बाह्मपुरी, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 30.05.2024 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 54/2023 ब उनवानी श्रीमती बेवा फातमा बनाम खलील व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट के प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 18.02.2025**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 54/2023 ब उनवानी श्रीमती बेवा फातमा बनाम खलील व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी 1 लगायत 4 की ओर से प्रतिनिधि श्री असलम उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थिया ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 के तहत प्रत्यर्थी 1 लगायत 4 पुत्रो एवं पुत्र वधुओं द्वारा लगतार बेवजह हैरान, परेशान व गृह कलेश करने के कारण अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष मकान से बेदखल करने व भरण पोषण दिलवाने बाबत परिवाद पेश किया था, लेकिन अधीनस्थ अधिकरण ने द्वारा सिर्फ भरण पोषण का ही आदेश पारित किया गया, बेदखली का आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलार्थिया जिस मकान में रहती है वह उसके स्वर्गीय पति का है तथा अपीलार्थिया ऊपर एक कमरे मे निवास करती है, शेष मकान में उसके पुत्र एवं पुत्र वधु निवास करते है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी ने अपने मकान से पुत्र व पुत्रवधुओं को बेदखल करने का निवेदन किया था लेकिन अपीलार्थिया के निवेदन पर गौर नहीं फरमाया गया । प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के साथ अमानवीय व्यवहार करते है तथा अपीलार्थिया को झूंठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देते है। आये दिन गाली गलौच व मारपीट करते है तथा अपीलार्थिया को खाना भी नहीं देते है जबकि अपीलार्थिया को स्वयं घर गृहस्थी का काम करना पडता है । अपीलार्थिया 80 वर्ष की वृद्व महिला है जिसे इस अवस्था में सहारे की जरूरत है । इस कारण पुत्र व पुत्रवधुओं को मकान से बेदखल किया जाता है तो अपनी विवाहित पुत्री को अपने पास रख सकती है जिससे उसे सहारा मिल सके। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थिया को पिछले 15 वर्ष से एक भी पैसा नहीं देते और अपीलार्थिया की हारी बीमारी में भी नही संभालते है। प्रत्यर्थीगण सब एक राय होकर अपीलार्थिया के साथ मारपीट व गाली गालौच करते है अपीलार्थिया ने मेहनत मजदूरी करके मकान बनाया, बच्चो की परवरिश की ,इनका सारा खर्चा उठाया, शादी की और अब ये अपीलार्थिया को हैरान व परेशान करते है व मारपीट किया करते है। अपीलार्थिया को राशन पानी नहीं देते है। अपीलार्थिया दोनों आंखों व कानों से मजबूर है इसलिए अपीलार्थिया ने अपनी देखरेख व सार संभाल के लिए अपनी पुत्री को बुला लिया तो प्रत्यर्थीगण व उनकी पत्नियों ने अपीलार्थी की पुत्री व नवासी के साथ भी गाली गलोच की और उनके साथ मारपीट की तथा उसका सिर फोड दिया। अपीलार्थिया द्वारा अपनी मेहनत मजदूरी से बनाया गया घर उसको वापिस दिलवाया जाये और प्रत्यर्थीगण को बेदखल किया जावे जिससे अपीलार्थिया उक्त मकान में किरायेदार रख कर अपना खर्चा चला सके। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 को मोडिफाई एवं अल्ट्रेट किया जाकर प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थिया के उक्त वर्णित मकान से बेदखल करने का आदेश फरमावें ।

प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थिया, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की माता व प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की सास है जिनके जीवन निर्वाह का पूरा पूरा ध्यान रख रहे है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखते है। अपीलार्थिया की पुत्री नूरजहां प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की बहन तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की ननद है। अपीलार्थिया की पुत्री नूरजहां अपने पति व बच्चों के साथ अप्रार्थीगण के मकान में जबरन निवास कर रही है तथा वह अपने ससुराल में नहीं रहती है। अपीलार्थिया की पुत्री नूरजहां अपनी माता को प्रत्यर्थीगण के खिलाफ हमेशा भडकाती रहती है, इस कारण से अपीलार्थिया हमेशा प्रत्यर्थीगण से झगडा करती रहती है तथा शान्ति भंग कर रही है और प्रत्यर्थीगण का जीना हराम कर रखा है। अपीलार्थिया की पुत्री ने अपीलार्थिया व प्रत्यर्थीगण के मकान पर जबरन कब्जा कर रखा है। अपीलार्थिया की पुत्री नूरजहां चाहती है कि वह अपीलार्थिया को प्रत्यर्थीगण के विरूद्व भडका कर उन्हें मकान से बाहर

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

निकाल कर स्वयं अकेली मकान मे निवास करें। अपीलार्थिया अपनी पुत्री के बहकावे में आकर उक्त प्रार्थना पत्र झूंठे तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है । अतः अपील प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 28.08.2024 के अनुसार 3000/–रूपये जरिये मनी आर्डर के भेजे थे, परन्तु अपीलार्थिया ने उक्त मनी आर्डर लेने से इन्कार कर वापिस कर दिया। उक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुये अपील खारिज किये जाने का आदेश फरमावें तथा अपीलार्थिया की पुत्री नूरजहां को पाबन्द किया जावे कि वह अप्रार्थीगण से किसी तरह से कोई लडाई झगड़ा नहीं करे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 को संशोधित कर मकान नम्बर 93/20 ईन्द्रा कालोनी परशुराम द्वारा के पीछे, जल महल जयपुर से प्रत्यर्थीगण को बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थिया द्वारा इस मकान के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण को मकान से बेदखल किये जाने का अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है।अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को 1500–1500 रूपये प्रति माह अपीलार्थी को भरण पोषण राशि दिये जाने का आदेश दिया गया है तथा प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी से लडाई झगडा, गाली गलोच व मारपीट नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर इसार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner